

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (R-100) अलेसे-1/1020

दिनांक:- 12-12-2017

कार्यालय आदेश

श्री रतनसिंह मीणा (लिंक नम्बर 6974), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.2 (क) (R-100) अलेसे-1/11794 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीबद्ध अपराध संख्या 326/2010 में अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने पर कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक(क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री मीणा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः राजस्थान सेवा नियम 53(1) के तहत श्री रतनसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि (निलम्बन के 6 माह पूर्ण होने की तिथि से) किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

६०
(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (R-100) अलेसे-1/1020

दिनांक:- 12-12-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर।
- 2 श्री रतनसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), मुख्यालय-कोषालय, धौलपुर।
- 3 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
- 4 अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
- 5 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)